आदेश

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तहसील तरबगंज के समस्त लोकवाणी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं की जॉच लोकवाणी केन्द्रों की अवस्थिति तथा क्षेत्रीय जनता के मध्य कराया जाना आवश्यक है।

अतः तहसील के समस्त राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों को आदेश दिया जाता है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में स्थित लोकवाणी केन्द्रों की जॉच केन्द्र संचालकों के पास उपलब्ध अभिलेख, उपकरण तथा आम जनमानस के मध्य करके निम्न विन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

1-- लोकवाणी केन्द्र स्थापित होने की चौहद्दी तथा नियुक्ति पत्र में अंकित चौहद्दी क्या है।

2-- लोकवाणी केन्द्र नियुक्ति पत्र में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जा रहा है अथवा नहीं।

3-- लोकवाणी केन्द्र संचालक द्वारा प्रति आवेदन पत्र निर्धारित मूल्य मु0 20/- से अधिक तो नहीं लिया जा रहा है। यदि लिया जा रहा है तो कितना। कम से कम 05-05 आवेदकों का अंकित बयान संलग्न किया जाये।

4-- केन्द्र संचालक का व्यवहार आम जनमानस के प्रति कैसा है।

5-- लेखपाल द्वारा जिस दिन प्रमाण-पत्रों को अपने स्तर से निस्तारित कर दिया जाता है, क्या उसी दिन आवेदकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध हो पा रहे हैं अथवा नहीं। यदि नही तो कारण स्पष्ट किया जाये।

उपरोक्त 01 लगायत 05 विन्दुओं पर जॉचोपरान्त रिपोर्ट आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तरबगंज

पत्रांकः 574 /एस0टी0(जॉच-लो0वा0के0)/2018 दिनांक अगस्त 10, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

1-- जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

1-- प्रभारी अधिकारी लोकवाणी केन्द्र गोण्डा

2-- तहसीलदार/नायब तहसीलदार तरबगंज

3-- समस्त राजस्व निरीक्षक/लेखपाल तहसील तरबगंज को अनुपालनार्थ।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज